

जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने की जरूरत

छपरा, एक संवाददाता। जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए क्रांति लाने की जरूरत है। सदियों से मानव समाज का विकास का नजदीकी व संबंध बनस्पतियों व प्राणियों से रहा है।

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद के सचिव डॉ के गणेश ने शहर के प्रेक्षागृह में जिला स्तर पर गठित जैव विविधता प्रबंध समितियों के अध्यक्षों के प्रशिक्षण सत्र को संबोधित करते हुए ये बातें कही। बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद व सारण वन प्रमंडल छपरा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित प्रशिक्षण में जिले की सभी पंचायतों के पंचायत समिति, ज़िला परिषद स्तर पर गठित जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अध्यक्षों ने इस प्रशिक्षण में भाग लिया। इसमें बताया गया कि बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद जैव विविधता अधिनियम-2002 के अन्तर्गत गठित सरकार का यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। इस पर्षद

■ पृथ्वी पर जीवन की समृद्धि जैव विविधता का करती है
वर्णन: डीएफओ

■ पंचायत स्तर पर 318, प्रखण्ड स्तर पर 20 व ज़िला स्तर पर एक समिति का हुआ गठन



जैव विविधता प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते डीएफओ रामसुंदर एम।

के द्वारा सारण जिला में पंचायत स्तर पर 318, प्रखण्ड स्तर पर 20 व ज़िला स्तर पर एक समिति का गठन किया गया है। पूर्व में जिप अध्यक्ष जयमित्रा देवी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद के सचिव डॉ के गणेश कुमार ने कहा

कि जैव विविधता प्रबंधन समिति का मुख्य कार्य स्थानीय लोगों के परामर्श से जैव विविधता पंजी को तैयार करना है। बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद के उपनिदेशक सुनील कुमार सिन्हा ने जैव विविधता पर्षद के कार्य, जैव विविधता प्रबंधन समिति का जन जैव विविधता समिति के गठन की परिकल्पना की जाती है।

पंजी के निर्माण कार्य से सम्बंधित विद्वाओं पर विस्तार से लोगों के बीच साझा किया। वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-नोडल पदाधिकारी सारण वन प्रमंडल छपरा रामसुंदर एम ने कहा कि पृथ्वी पर जीवन की समृद्धि व विविधता जैव विविधता का वर्णन करती है।

उन्होंने कहा कि जैव संसाधनों के संरक्षण, पोषणीय उपयोग, जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग को विनियमित करने के अतिरिक्त जैव विविधता प्रबंधन समितियों, समुदायों के हित में उपयोगकर्ताओं से जैव संसाधनों से प्राप्त लाभ के बारे में बताया। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक मुजफ्फरपुर एके द्विवेदी ने जैव विविधता अधिनियम पर प्रकाश डाला व कहा कि जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक स्थानीय निकाय द्वारा जैव विविधता समिति के गठन की परिकल्पना की जाती है।